रैगिंग विरोधी महत्वपूर्ण सूचना

सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारे संस्थान में रैगिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार की रैगिंग — शारीरिक, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक — एक गंभीर अपराध है तथा इसके लिए संबंधित छात्र के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।UGC एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, रैगिंग की शिकायत पर FIR दर्ज की जा सकती है, और दोषी पाए जाने पर छात्र को निलंबन, निष्कासन एवं अन्य कठोर दंड भी दिए जा सकते हैं।कॉलेज जीवन एक नए सफर की शुरुआत है, और हमारा उद्देश्य है कि यह सफर आपके लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सुखद हो। हमारे संस्थान में रैगिंग किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। हम एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ सीनियर और जूनियर के बीच मित्रता, मार्गदर्शन और सहयोग की भावना हो, न कि डर या अपमान की। एक सच्चा सीनियर वही है जो अपने जूनियर्स को प्रेरित करता है, उनका मार्गदर्शन करता है – न कि उनका मानसिक शोषण।यदि आप रैगिंग का शिकार हैं या किसी अन्य छात्र के साथ रैगिंग होते हुए देखते हैं, आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उचित कार्रवाई तत्काल की जाएगी।आइए, हम सभी मिलकर एक रैगिंग-मुक्त, सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण की ओर कदम बढाएं।

- **बिना किसी भय के इसकी सूचना 999242656 संयोजक एंटी-रैगिंग समिति को दें।**

सादर,

डॉ. मिनाक्षी

संयोजक, एंटी-रैगिंग समिति

13/8/25

प्राचार्या

राजकीय महाविधालय जसिया (रोहतक)